चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 31.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 31.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सोलर पैनल चोरी करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को 24 अदद सोलर पैनल KLK कम्पनी,घटना में प्रयुक्त पिकअप नं0 UP96C9617,04 अदद मोबाइल फोन,2120 रूपया नगद व 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के नाम पता का विवरण-

1. अमन सिंह पटेल पुत्र अभिलाष सिंह नि. बाबुपुर थाना पहाड़ी
2.इरशाद उर्फ भिंडी पुत्र अफसर अहमद निवासी ग्राम पहाड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
3.मनदीप सिंह पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम अहिरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
4.प्रशान्त कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राम प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त अमन सिंह पटेल उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 645/023 धारा 379, 411, 34 भादवि0 कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2. मु0अ0सं0 27/025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
3. मु0अ0सं0 67/025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
4. मु0अ0सं0 22/025 धारा 305(E) बीएनएस थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त इरसाद उर्फ भिन्डी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 194/019 धारा 354ख, 376 भादवि0 व 4/8 पॉस्को एक्ट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
2.मु0अ0सं0 67/019 धारा 279,427 भादवि0 थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
3.मु0अ0सं0 27/025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
4.मु0अ0सं0 22/025 धारा 305(E) बीएनएस थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक व समयः-

क्षतिग्रस्त मुहरवां पुल से 20 कदम पहले,दिनाँक 30.03.025,22.10 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 31.01.025 को मंतगंजन सिंह पुत्र शत्रुधान सिंह निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि उनके ट्यूबबेल से अज्ञात चोरों द्वारा 33 नग सोलर पैनल चोरी कर लिए गए है। घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0 सं0 27/025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष राजापुर को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 30.03.025 को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप गाड़ी चोरी का माल लेकर कर्वी से मुहरवाँ पुल होते हुये कौशाम्बी की तरफ जा रहे है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष राजापुर व एसओजी प्रभारी की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए क्षतिग्रस्त मुहरवां पुल के पास पहुँचे तो पुलिस टीम को देखकर आरोपी गाड़ी से उतरकर भागने लगे पुलिस टीम द्वारा घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर पिकअप गाड़ी में सवार आरोपी अभियुक्त 1.अमन सिंह पटेल पुत्र अभिलाष सिंह नि. बाबुपुर थाना पहाड़ीन 2.इरशाद उर्फ भिंडी पुत्र अफसर अहमद निवासी ग्राम पहाड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 3.मनदीप सिंह पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम अहिरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 4.प्रशान्त कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राम प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की क्रमशः जामतलाशी ली गयी तो आरोपी 1.अमन

सिंह पटेल उपरोक्त से 01 अदद मोबाइल फोन रियल मी प्रो,230 रूपये नगद 01 अदद तमंचा 315 बोर,02 दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2. इरशाद उर्फ भिंडी उपरोक्त से 01 अदद मोबाइल OPPOF19S तथा 1300 रूपये नगद 3. मनदीप सिंह उपरोक्त से एक अदद मोवाइल One Plus Nord CE-2 व 310 रूपये नगद बरामद 4. प्रशान्त कुमार उपरोक्त से 01 अदद मोवाइल Vivo Y17s व 280 रूपये नगद बरामद हुए। भागने का कारण पुछते हुये पिकअप के डाला को खुलवाकर तलाशी ली गयी तो 24 अदद सोलर पैनल जिस पर KLK 335 W.P. कम्पनी उपरोक्त चारो व्यक्तियों के कब्जे से बरामद हुए।

चोरी के माल के सम्बन्ध में सामूहिक व अलग-अलग कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो अमन सिंह उपरोक्त ने बताया कि हम लोग मिलकर सोलर पैनल चोरी करते है तथा इरशाद उर्फ भिण्डी अपनी पिकअप से चोरी का माल ले जाकर ठिकाने लगाते है। मनदीप उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 30.12.024 की रात में अमन सिंह, मनदीप सिंह, प्रशान्त कुमार को साथ लेकर निखिल सिंह द्वारा योजना बनाकर ग्राम नादिन कुर्मियान में रोड के बगल मतंगजन सिंह के बोर से 33 अदद सोलर पैनल चोरी से खोलकर बोर से लाकर इरशाद उर्फ भिंडी पुत्र अफसर अहमद की पिकअप गाड़ी मंगवाकर लोडकर लेकर चले गये थे जिसमें से बटवारा करने पर 09 अदद सोलर पैनल निखिल उर्फ आदर्श पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी सगवारा थाना राजापुर चित्रकूट अपने घर पर रख लिया था शेष 24 अदद सोलर पैनल हम चारों छिपाकर रखे थे कई दिन से बेचने के फिराक में थे आज अपने हिस्से का पैनल बेचने जा रहे थे पूँछताछ में प्रशांत कुमार ने बताया कि वह पैनल को खोलने के लिये रिन्च पिलास पेंचकश आदि की व्यवस्था करता है तथा चोरी करने वाले स्थान को चिन्हित करता है। यह पिकअप जिस पर आज आपने चोरी का माल बरामद किया है UP96C9617 रामशरण विश्वकर्मा निवासी छेछरिया खुर्द ग्राम की मांगकर लाया हुँ। आरोपी अभियुक्तों से क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों के सम्बन्ध में कड़ाई से पुंछताछ की गयी तो बताए कि ग्राम ओरा थाना क्षेत्र पहाड़ी में प्राइमरी विद्यालय में सोलर पैनल लगे थे जिसे दिनांक 02/03.01.025 की रात में हम सभी सोलर पैनल चोरी करने गये थे जिसमें एक ही पैनल खोल पाये थे कि गांव के तरफ से कुछ लोगो टार्च लगाते हुये आते देखकर हम चारो लोग एक ही पैनल लेकर भाग गये थे घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी से सम्पर्क किया गया तो उक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 22/25 धारा 305(1) BNS पंजीकृत है अभियुक्तों के कब्जे से माल बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमों उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी,घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। आरोपी अभियुक्त अमन सिंह उपरोक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 67/025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट/सर्विलांस व थाना राजापुर पुलिस टीम का नाम-

1.प्रभारी स्वाट/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम0 पी0 त्रिपाठी

2.थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह

3.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय

4.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह मय

5.चालक मुख्य आरक्षी अतीक खाँ

6.आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा

7.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

8.आरक्षी लवकुश यादव

9.आरक्षी मनीष यादव

10.आरक्षी रोहित सिंह

11. आरक्षी गोलु भार्गव

12.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
13.आरक्षी पवन राजपूत

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा ईद उल फितर पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत कर्वी शहर के पुरानी कोतवाली,तरौहा मस्जिद,बड़ी मस्जिद,छोटी मस्जिद,कजियाना मोहल्ला एवं काली देवी चौराहा आदि क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया । पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करते हुए पर्व को संपन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की शान्ति,सौहार्द्रपूर्ण एवं भाई चारे के साथ पर्व को मनाए।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा ईद उल फितर पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत कर्वी शहर के पुरानी कोतवाली,तरौहा,बड़ी मस्जिद,छोटी मस्जिद,कजियाना मोहल्ला एवं काली देवी चौराहा आदि क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया । अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की चेकिंग की गयी तथा ड्यूटी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की शान्ति एवं सौहार्द्रपूर्ण ढंग से पर्व को मनाए।

(6). आज दिनांक 31.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में ईद त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं शान्ति सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र के उतारखाना,कजियाना मोहल्ला,ईदगाह एवं मिश्रित घनी आबादी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी ।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सरैया श्री रामअधार सिंह व उनकी टीम द्वारा मु0नं0 148/24 मु0अ0सं0 02/2023 धारा 504/506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त अंकित द्विवेदी पुत्र राजेश द्विवेदी निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. उ0नि0 श्री रामअधार सिंह चौकी प्रभारी सरैया
2. आरक्षी मनोज कुमार

(8). आज दिनाँक 31.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन में अधिकारी/कर्मचारीगणों की रात्रि गणना करायी गयी तत्पश्चात निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में रात्रि गणना के दौरान उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रतिदिन रात्रि गणना में उपस्थित होने,अनुशासन पूर्वक ड्यूटी करने,समय से ड्यूटी पर उपस्थित होने तथा जनता में विनम्र व्यवहार रखने हेतु बताया गया तत्पश्चात निर्माणाधीन भवन व कान्हा सभागार में चल रहे कार्यों को देखा गया । जल्द से जल्द कार्य को पूरा कराएं जाने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया।